



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1983/माघ 15, 1904
No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1983/MAGHA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1983

सांकांनि० 53(अ)/अ०ष०/ईख —केन्द्रीय सरकार, ईख, (नियंत्रण) आदेश, 1966 के
खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उनके उपखण्ड(1) में वर्णित विभिन्न
सूच्यों का ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकाय और संगमों में परामर्श करने के पश्चात्
जिनसे परामर्श करना यह आवश्यक समझती है और ईख की आधार्मिक न्यूनतम कीमत 13.00
रुपये क्विंटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सम्बद्ध है, जिसके साथ
8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे
प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इसमें उपावृद्ध अनुसूची के स्मृति (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को
उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्मृति (2) में तत्सम्यधि
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्धारित पात्र प्रक्रिया वाले ईख के कारखाने के स्वामियों द्वारा उनके

1293 GI/82

(1)

अतिशक्तिश्रों द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी त्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 1983 को समाप्त होने वाले ईश वर्ष 1982-83 के लिये परिवर्त ईश के लिये संवेय होगी किन्तु ऐसा उक्त मादेश के खण्ड 3-क के अधीन उनके लिये संवेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जायेगा ।

अनुसूची

क्र० सं०	कारखाने का नाम	ईश की रूपों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
1	2	3
1.	श्री हनुमान कोआपरेटिव शुगर लि०, हनुमान जंक्शन, जिला कृष्णा ग्राम प्रवेश	14.68

[सं० 3-3/82-एम०पी०वाई० (डी०-2)]

एन०एम० बनर्जी, सयुक्त सचिव (बी०)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1983

G.S.R. 53(E)/Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factor mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or the agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1982-83, ending the 30th September, 1983, subject to the rebates, payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum price in rupees per quintal	Sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)		(3)
1.	Sri Hanuman Cooperative Sugars Limited Hanuman Junction, District Krishna (A.P).		14.68

[No.3-3/82-SPY(D-II)]

N.R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)

